



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून

ई0मेल द्वारा

Phone & Fax:- 0135-2530431, 01352531415



Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 406 / 37 / याता0(ख)-उ0 / 2017
सेवा में,

दिनांक 04 / 07 / 2017

श्री दिनेश कुमार पुनेठा,
अनु सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) विकसित किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 507 / 111(3) / 17-22(सामान्य) / 2014 दिनांक 29.06.2017।

महोदय,

विभागीय आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) इस कार्यालय को गोरखपुर इन्चायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप द्वारा सुझाव एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित की गई थी, प्राप्त आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) का अध्ययन करने के उपरान्त अनुमोदित कर, आपदा प्रबन्धन योजना व मानक प्रचालन कार्यविधि (एस0ओ0पी0) संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न -- एस0ओ0पी0 की अनुमोदित प्रति (28 पृष्ठ)।

(आर0सी0 पुरोहित)

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

- प्रतिलिपि:- 1. श्रीमती रचना थपलियाल, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो.नि.वि., देहरादून, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अनुमोदित एस.ओ.पी. की प्रति विभागीय पुस्तकालय में सुरक्षित रखें।
2. कनिष्ठ अभियन्ता (प्रा0), कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (मुख्यालय)

Ex En

महोदय उत्तराखण्ड 507 की प्रतिलिपि विभागीय web site पर अपलोड किया जाकर शक्ति होगा, कृपया आदेशावधि सादर

CECH

upload यंत्र
वाही कृपया

Net पर 20 पर नया
मार्च 2017 प्र. 45 के अनुसार

upload करके 05 प्र. 15 (11/81)
11/81 2017 EE

मानक संचालन प्रक्रिया (ड्राफ्ट)

approved

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

आपदा शमन एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC) देहरादून, उत्तराखण्ड

विवरणिका

तालिका की सूची

प्रस्तावना	4
1 परिचय	5
2 विभाग के बारे में	6-8
3 आपदा के दौरान विभाग का आकस्मिक सहायता कार्य	9
4 मानक संचालन प्रक्रिया	10-11
5 संस्थागत तंत्र	12-13
6 पूर्व चेतावनी प्रणाली	14-16
7 उत्प्रेरक तंत्र	17-18
8 विभिन्न चरणों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य के दिशा-निर्देश	19-22
संलग्नक	
• विभागीय ई0एस0एफ0	24-25
• सरकारी आदेश	26-30
• मानव एवं भौतिक संसाधन	
• क्षति आकलन प्रपत्र	


अभिस्वीकृति

आपदा प्रबन्धन के लिये उत्तम एवं प्रभावी तंत्र, ग्राम स्तरीय आपदा कार्यदल, समुदाय (संगठनों) का है, जिसका योगदान आपदा प्रबन्धन के विभिन्न चरणों में यथा-आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की गतिविधियों में लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए सभी विभागों एवं संगठनों को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना अति आवश्यक है, जिससे मानवीकृत व प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सके। इस हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन उत्तराखण्ड द्वारा गारेखपुर इन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप को राज्य स्तर पर विभागों के मानक संचालन प्रक्रिया तैयार किये जाने हेतु चयनित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना को आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा-39 में निहित प्राविधानों के तहत विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया की रूपरेखा का अनुमोदन प्राप्त कर संकलित एवं व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में गारेखपुर इन्वायरनमेन्टल एक्शन ग्रुप विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय है। जिसमें विभागीय मानक संचालक प्रक्रिया को एक व्यवहारिक एवं बहुउद्देशीय स्वरूप प्रदान करने के लिए विभाग से समय-समय पर दिये गये सुझावों को समाहित किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है, कि विभागीय प्रक्रिया निर्माण का यह प्रयास भविष्य में किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु उपयोगी सिद्ध होगा।

शुभकामनाओं सहित,


(आर०सी० पुरोहित),
मुख्य अभियन्ता, स्तर-1
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

तालिका की सूची

तालिका 1 : विभिन्न आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी देने हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं

तालिका 2 : बाढ़ आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 3 : भूस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 4 : हिमस्खलन आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

तालिका 5 : भूकम्प आपदा के सन्दर्भ में खतरे का श्रेणीकरण

